प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प रायपुलिया

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल सैनी
इकबालीमणा सैनी
बनाम
रिकॉर्ड दुरस्ती U/S 88 RTA
मुकदमा नम्बर :– 95 / 2021
निर्णय दिनांक :– 17.11.2021

वादी की ओर से संघ को व प्रतिवादी की ओर से राजपोकार श्री राहुल सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.11.2021 को (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादीगण का वाद स्वीकार होकर ग्राम पोटी की कृषि भूमि खसरा नम्बर (492)/362 तादादी 1.9349 हैक्टेयर बाबूशाह पुत्र बशीर शाह एवं खसरा नं. 493/362 तादादी 1.9476 हैक्टेयर इकबालीमणा पुत्र अलीमणा के नाम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू अन्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

17.11.2021

17/11/21
(श्री राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शपथ पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शपथ पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. [illegible]		[illegible]	
4. [illegible]		[illegible]	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		[illegible]	
6. कमिश्नर की फीस		[illegible]	
7. आदेशिका की [illegible]			

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:15:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि सही